पत्र क्रमांक 4/18/2017–2 ए.जी. (सी) दिनांक 08.08.17/09.08.17, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग से निर्देश जारी किये गये हैं, का हिन्दी अनूवाद।

विषयः– गम्भीर अपराधों में गवाहों को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने बारे नीति– सी.आर.एम. नं. 3067 ऑफ 2017 सुनील बनाम हरियाणा राज्य।

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे।

1. सुचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 06.09.2011 (जिसमें नोटिफिकेशन दिनांक 19.09.2012 शंसोधन किया गया) से मुखबिरों/आधिकारिक सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं गम्भीर अपराधों के परिवादियों/पिड़ितों व गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु एक नीति तैयार की गई हैं, जिसमें सरकार के निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रभावी तौर पर कदम उठाये जाने की आवश्यकता हैः–

1. आम जनता को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार की नीति दिनांक 06.09.2011 के तहत सुरक्षा प्रदान किऐ जाने के प्रावधानों को अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाये।

2. राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति दिनांक 06.09.2011 को सभी जिलाधीश, पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक/जिला न्यायवादी एवं सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों/थाना स्तर पर लागु करने हेतु जारी की जाये।

3. नीति को पुलिस की सरकारी वेबसाईट पर रखा जाये।

4. सुरक्षा मुहैया नीति के तहत आवेदन की प्रक्रिया को लागु करने के लिए स्पेशल सैल स्थापित किया जाये। यदि स्थापित नहीं किया गया है तो तुरन्त प्रभाव से स्थापित किया जाये।

5. अनुसन्धान अधिकारी सभी गवाहों को अनुसन्धान के दौरान उनके कथन अंकित करते समय राज्य सरकार की सुरक्षा मुहैया करवाने की नीति से अवगत करवाये।

6. इसके साथ–2 अनुसन्धानकर्ता गवाहों को अंकित करवाये गये कथनों से माननीय अदालत में मुकरने या गवाही नहीं देने बारे कानून के प्रावधानों से भी अवगत करवाये।

7. इस सम्बन्ध में अनुसन्धानकर्ता गम्भीर अपराधों में सरकार की सुरक्षा मुहैया करवाने की नीति में दिये गये प्रावधानों को भी अपनी जिमनी/रिकार्ड में वर्णन करे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही करे एवं सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार की नीति दिनांक 06.09.2011 को प्रभावी तौर से पालना करने हेतु निर्देश जारी करें।

हस्ताः अधीक्षक गृह
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग।

पत्र क्रमांक 4/18/2017–2 ए.जी. (सी) दिनांक 08.08.17, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग द्वारा जारी किया गया का हिन्दी अनूवाद।

विषयः– गम्भीर अपराधों में गवाहों को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने बारे प्रणाली–सी.आर.एम. नं. 3067 ऑफ 2017 सुनील बनाम हरियाणा राज्य।

2. सुचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 06.09.2011 (जिसमें नोटिफिकेशन दिनांक 19.09.2012 शंसोधन किया गया (से मुखबिरों/अधिकारिक सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं गम्भीर अपराधों के परिवादियों/पिड़ितों व गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु एक नीति तैयार की गई है। इस पालिसी को प्रभावी तोर से लागु करने के लिए राज्य सरकार द्वारा महसुस किया गया कि अनुसन्धान के दौरान जब गवाहों के कथन अंकित किये जाते हैं तो अनुसन्धानकर्ता सभी गवाहों को राज्य सरकार की सुरक्षा मुहैया करवाने की नीति से अवगत करवायेगा एवं उन्हें आश्वत करेगा कि वे भयमुक्त होकर माननीय अदालत में गवाही देवें और यदि उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी आदि मिलती है तो वे सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। इसके साथ–2 अनुसन्धानकर्ता गवाहों को अंकित करवाये गये कथनों से माननीय अदालत में मुकरने या गवाही नहीं देने बारे कानून के प्रावधानों से भी अवगत करवायेगा। इस सम्बन्ध में अनुसन्धानकर्ता गम्भीर अपराधों में सरकार की सुरक्षा मुहैया करवाने की नीति का अपनी जिमनी/रिकार्ड में वर्णन करेगा। यह कार्यवाही गवाहों की गवाही से बैठने की प्रक्रिया में कमी लाने में सहायक सिद्ध होगी।

अतः आपसे अनूरोध है कि राज्य सरकारी की नीति दिनांक 06.09.201 बारे सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों/थाना स्तर पर भिजवाई जाये और उन्हें हिदायत जारी करें कि अनुसन्धान के दौरान जब भी गवाहों के कथन अंकित किये जाते हैं तो अनुसन्धानकर्ता सभी गवाहों को राज्य सरकार की सुरक्षा मुहैया करवाने की नीति से एवं अंकित करवाये गये कथनों से माननीय अदालतें मुकरने या गवाही नहीं देने बारे कानून के प्रावधानों से अवगत करवाये और गम्भीर अपराधों में सरकार की सुरक्षा मुहैया करवाने की नीति का गवाहों को अवगत करवाने बारे अपनी जिमनी/रिकार्ड में वर्णन करें।

हस्ताः अधीक्षक गृह
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग।

हरियाणा सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
6 सितम्बर 2011

क्रमांक **1/5/2010/3 HG-IV** यदपि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा हेतु बिल की रूपरेखा तैयार की गई हैं। फिर भी तब तक बिल एक्ट का रूपधारण एवं प्रक्रिया में नहीं आता, तब तक मुखबिरों एवं आधिकारिक सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए एक नीति का होना अत्यन्त आवश्यक है।

और जबकि सी. डबलु. पी. नं. 832 ऑफ 2011 एस.सी. अरोड़ा अधिवक्ता बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य बाबत मुखबिरों को सुरक्षा से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं, को मध्यनजर रखते हुए राज्यपाल हरियाणा मुखबिरों, अधिकारिक सुचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और गम्भीर अपराधों में परिवादियों/गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए निम्नलिखित नीति बनाते हैं:–

मुखबिरों, अधिकारिक सुचना प्रापत करने वाले व्यक्तियों और गम्भीर अपराधों में परिवादियों/गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए नीति

उद्देश्य

भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है, जो आर्थिक विकास व सामाजिक उत्थान में बाधा है। सरकार में इस बाधा को खत्म करने की जरूरत महसुस हुई है और सरकारी नौकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शक्ति की कमी या विवेकाधिकार के जानबुझकर प्रयोग से सरकार के नुकसान का कारण बनता है।

परिभाषा

क) **Whistle blower** से आश्य है कि जो व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय, कम्पनी व सार्वजनिक उपक्रम की निम्न प्रकार के सम्बन्ध में शिकायत या उनको बेनकाब करता है।

1) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 (केन्द्रिय अधिनियम 49 ऑफ 1988) के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के अपराध में संलिप्त होना।
2) जानबुझकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार को प्रत्यक्ष तौर पर हानि पहुंचाना।
3) सरकारी नौकर द्वारा अपराधिक जुर्म करना या उसकी कोशिश करना।

ख) **Right to Information activists** से आशय है कि वह व्यक्ति जो किसी भी सरकारी कार्यालय, कम्पनी एवं सार्वजनिक उपक्रम में भ्रष्टाचार/अपराधिक जुर्म को उजागर करने में लगातार प्रयासरत रहता है, जिससे उसको खतरा बना हुआ है।

ग) जिला स्तरीय कमेटी के आश्य है कि सम्बन्धित जिलों में जिलाधीश, अध्यक्ष, व पुलिस अधीक्षक एवं जिला न्यायवादी इसके सदस्य होंगे।

घ) राज्य स्तरीय कमेटी से आशय है कि प्रधान सचिव, गृह विभाग, अध्यक्ष व महाधिवक्ता, हरियाणा तथा पुलिस महानिदेशक हरियाणा इस कमेटी के सदस्य होंगे।

सुरक्षा मुहैया कराने का तरीका

1. मुखबिर, अधिकारिक सुचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति और गम्भीर अपराधों में परिवादी/गवाह जिसको जान से खतरे की धमकी दी गई है, सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अपना लिखित आवेदन जिला स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत करेगा। आवेदन प्राप्त होने पर जिला स्तरीय कमेटी खतरे की आशंका बारे जांच करेगी और इस बारे जिला पुलिस निरीक्षक, सी.आई.डी. या किसी अन्य अधिकार/कार्यालय से जैसा आवश्यक समझे रिपोर्ट प्राप्त करेगी। मामले की गम्भीरता को मध्यनजर रखते हुए या तथ्यों पर आधारित धमकी मुल्यांकन रिपोर्ट एवं हालात के अनुसार प्रत्येक मुखबिर, अधिकारिक सुचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति और गम्भीर अपराधों में परिवादी/गवाह को सुरक्षा मुहैया करवाई जायेगी। उसको कितनी सुरक्षा प्रदान करवाई जायेगी का फैसला सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक निर्धारित करेंगे। इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके पूर्ण किया जायेगा, जिसकी समयावधि एक सप्ताह से ज्यादा नहीं होगी।

2. यदि मुल्यांकन के दौरान किसी प्रकार की धमकी या खतरे की स्थिति नहीं पाई जाती है तो आवेदन फाईल कर दिया जायेगा तथा आवेदन मय मुल्यांकन रिर्पोट व जिला स्तरीय कमेटी का फैसला, राज्य स्तरीय कमेटी को अवलोकनार्थ प्रेषित किया जायेगा, जो इस पर अन्तिम निर्णय लेंगे।

3. मुखबिर, अधिकारिक सुचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति और गम्भीर अपराधों में परिवादी/गवाह को दी गई सुरक्षा की छः माह के बाद पुनः खतरे का मुल्यांकन करके हालात अनुसार बढोतरी/कमी या वापिस ली जा सकती है।
4. जिला स्तरीय कमेटी सुरक्षा मुहैया करवाने बारे प्रस्ताव मय खतरे की मूल्याकनं रिपोर्ट व कारण सहित (मुखबिरों, अधिकारिक सुचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और गम्भीर अपराधों में परिवादियों/गवाहों) तैयार करके संतुष्टि हेतु राज्य स्तरीय कमेटी को 3 दिन के अन्दर–2 भेजेगी, जिस पर राज्य स्तरीय कमेटी तुरन्त सज्ञान लेते हुए एक सप्ताह के अन्दर–2 अपना फैसला देगी।

5. यदि मुहैया करवाई गई सुरक्षा का दुरूप्योग किया जायेगा तो उसके विरूद्धं आवश्यक कार्यवाही करते हुए सुरक्षा का खर्चा व कानुनी कार्यवाही की जायेगी।

6. एक विशेष शाखा का गठन किया जायेगा, जो सुरक्षा के आवेदन और अभियोग के अनुसन्धान की प्रक्रिया की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा तथा जिला स्तरीय कमेटी की राय अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि अभियोग किसी दुर्भावना, दमन एवं बिना किसी ठोस कारण के अंकित करवाया गया है।

7. मुखबिरों, अधिकारिक सुचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नीति अनुसार सुरक्षा मुहैया करवाई जायेगी, यदि निम्नलिखित संरक्षित प्रकटीकरण पाया गया हो:–

1. यदि वह नेक नियत से दिया गया हो।
2. मुखबिरों, अधिकारिक सुचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के पास वास्तविक सुचना या उसके सहायक दस्तावेज हों।
3. यदि वह व्यक्तिगत लाभ या विषय के विरूद्ध शत्रुता का ना हो।

स्मीर माथुर
वित्यायुक्त एवं प्रधान सचिव
हरियाणा सरकार, गृह विभाग।